

कार्यालय नगर पालिक निगम , रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक/720 /रा.वि./नपानि/2023

रायगढ़ दिनांक 30/05/2023

॥ ऑफर दर आमंत्रण सूचना ॥

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ अधीनस्थ मंगल भवना एवं सामुदायिक भवनों को संचालन के लिये ठेका में दिये जाने हेतु ऑफर दर आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति/संस्थान दिनांक 22/06/2023 समय 05:00 बजे तक अपना ऑफर दर दो लिफाफा पद्धति अनुसार पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से बंद लिफाफा में निर्धारित अमानत राशि के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त ऑफर दिनांक 23/06/2023 को समय 04:00 बजे ऑफरदाताओं के समक्ष दर खोली जाएगी। ऑफर प्रपत्र कार्यालयीन समयावधि में दिनांक 21/06/2023 तक शुल्क 500/- रु. जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

भवनों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	भवन का नाम	निर्धारित ऑफसेट प्राईज	अमानत राशि
1	चांदनी चौक मंगल भवन	40000.00	4000.00
2	कबीर चौक मंगल भवन	60000.00	6000.00
3	बेलादुला खर्चाघाट मंगल भवन	40000.00	4000.00
4	छोटे अतरमुड़ा मंगल भवन	40000.00	4000.00
5	गांधी नगर मंगल भवन	20000.00	2000.00
6	गौशाला पारा सामुदायिक भवन	40000.0	4000.00
7	केवड़ाबाड़ी चौक मंगल भवन	20000.00	2000.00
8	केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड मंगल भवन	100000.00	10000.00

नियम एवं शर्तें ऑफर प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट www.nagarnigamraigarh.com पर अवलोकन एवं डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/720 /रा.वि./नपानि/2023

रायगढ़ दिनांक 30/05/2023

प्रतिलिपि:-

- मान.महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
- राजस्व प्रभारी, मेयर इन काउंसिल, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
- कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
- सहायक जन संपर्क अधिकारी नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
- कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु तथा वेबसाइट में अपलोड हेतु।
- संपादक को सूचनार्थ अपने आगामी अंक में साईज में एक दिवसीय प्रकाशित कर समाचार पत्र की प्रतियों के साथ देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्रमांक ३१२६..... /रा.वि./न.पा.नि./2023

रायगढ़ दिनांक ३१/०५/२०२३

॥ मंगल भवन/सामुदायिक भवन ठेका हेतु ऑफर दर हेतु नियम व शर्त ॥

1. मंगल भवनों/सामुदायिक भवनों का ऑफर दर का विवरण :-

क्र.	भवन का नाम	निर्धारित ऑफसेट प्राईज	अमानत राशि
1	चांदनी चौक मंगल भवन	40000.00	4000.00
2	कबीर चौक मंगल भवन	60000.00	6000.00
3	बेलादुला खर्साघाट मंगल भवन	40000.00	4000.00
4	छोटे अतरमुड़ा मंगल भवन	40000.00	4000.00
5	गांधी नगर मंगल भवन	20000.00	2000.00
6	गौशाला पारा सामुदायिक भवन	40000.0	4000.00
7	केवड़ाबाड़ी चौक मंगल भवन	20000.00	2000.00
8	केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड मंगल भवन	100000.00	10000.00

- नगर निगम द्वारा जारी ऑफर प्रपत्र ही स्वीकार किया जावेगा ।
- दो लिफाफा पद्धति अनुसार, मुख्य लिफाफा के अंदर प्रथम लिफाफा में अमानत राशि एवं द्वितीय लिफाफा में ऑफर दर प्रपत्र जमा करना होगा ।
- अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- किसी भी ऑफर को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के पास सुरक्षित होगा, इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा ।
- ठेके की अवधि स्वीकृति दिनांक से 03 वर्षों के लिये होगी ।
- ठेका स्वीकृत राशि एक वर्ष पश्चात आगामी 02 वर्षों में स्वीकृति राशि में प्रत्येक वर्ष 15-15 प्रतिशत राशि वृद्धि किया जावेगा ।
- नगर निगम द्वारा जारी ऑफर प्रपत्र ही स्वीकार किये जावेंगे ।
- एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र तथा अमानत राशि का चेक, ऑफर प्रपत्र लिफाफा के साथ निर्धारित अमानत का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- ऑफर प्रपत्र के साथ जी.एस.टी. प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
- ऑफर में प्राप्त उच्चतम दर की स्वीकृति किया जावेगा स्वीकृत राशि वार्षिक ऑफसेट प्राईज मानी जावेगी ।
- अमानत राशि ठेका अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि कोई किराया शेष है तो उसमें समायोजन कर लिया जावेगा शेष नहीं होने पर राशि वापस कर दिया जावेगा ।
- ऑफर दर स्पष्ट रूप से हो, अस्पष्ट एवं कांट-छांट दर स्वीकार नहीं होगा ।
- नगर पालिक निगम, रायगढ़ के बकायादारों का ऑफर दर स्वीकार नहीं होगा ।
- ऑफर प्रपत्र में किसी प्रकार का शर्त उल्लेख करने पर ऑफर स्वीकार योग्य नहीं होगा ।
- एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र तथा ऑफर आमंत्रण सूचना में दर्शित निर्धारित अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक संलग्न करना होगा अन्यथा ऑफर प्रथमतः निरस्त माना जावेगा ।

क्रमशः 02

17. प्रथम ऑफरदाता का अमानत राशि रोक कर शेष ऑफरदाताओं का डी.डी. वापिस किया जावेगा।
18. स्वीकृत ठेका अन्य नाम से हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी।
19. प्रथम उच्चतम ऑफरदाता का राशि जमा करने के पश्चात् ही द्वितीय ऑफरदाता की अमानत राशि वापिस की जावेगी।
20. प्रथम उच्चतम ऑफरदाता द्वारा सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना होगा। स्वीकृत दर का 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं करने पर अमानत राशि राजसात करते हुए पुनः नीलामी की कार्यवाही की जावेगी।
21. ऑफरदाता को 25 प्रतिशत राशि जमा करने पश्चात् शेष 75 प्रतिशत राशि तीन-तीन महीनों के अन्तराल में जमा करना होगा निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।
22. ऑफर दर समान होने की स्थिति में लॉटरी पद्धति से ऑफर दर स्वीकृति की कार्यवाही किया जावेगा।
23. उच्चतम ऑफर स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार को 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित कर समक्ष नोटरी से सत्यापित कर कार्यालय में जमा करना होगा।
24. ठेकेदार मंगल भवन/सामुदायिक भवन के विभिन्न कार्य हेतु शुल्क निर्धारित कर वसूली कर सकेगा। निर्धारित शुल्क की सूचना निगम को देना एवं सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क में परिवर्तन के पूर्व सूचना देना भी अनिवार्य होगा।
25. ठेकेदार को नगर पालिक निगम से संबंधित विभिन्न योजना के कार्यक्रम हेतु वर्ष में कुल मिलाकर 15 दिवस निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा।
26. केन्द्र एवं राज्य शासन (शासकीय) के विभिन्न विभाग उपक्रम को उक्त भवन की आवश्यकता एवं मांग होने पर भवन के रख-रखाव व्यय के रूप में पचास प्रतिशत राशि प्रति दिवस के आधार पर आयुक्त के अनुशंसा पर उपलब्ध कराना होगा।
27. ठेकेदार को मंगल भवन/सामुदायिक भवन में कार्यक्रम करने वालों के वाहनों सायकल, स्कूटर एवं कार आदि की उचित पार्किंग व्यवस्था निर्धारित पार्किंग स्थल पर स्वयं के व्यय पर करना होगा पार्किंग व्यवस्था ऐसी की जावेगी जिससे मार्ग में यातायात बाधित न हो निर्धारित पार्किंग शुल्क की राशि ठेकेदार की होगी।
28. ठेकेदार निगम द्वारा जल के भूमिगत स्थापित स्त्रोतों का उपयोग का सकेगा तथा उन्हें संधारित करेगा साथ ही यदि जल आपूर्ति संयंत्र से जल आपूर्ति की जाती है तो उपयोग अनुसार प्रभार शुल्क पृथक से देया होगा।
29. ठेकेदार द्वारा भवन के सम्पूर्ण क्षेत्र में अग्नि शामक यंत्रों एवं किसी दुर्घटना से बचाव के उपाय सुनिश्चित करेगा।
30. निगम आयुक्त एवं इसके लिये आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारी किसी भी समय भवन का निरीक्षण कर सकेंगे। ठेकेदार एवं उसके कर्मचारी निरीक्षण में सहयोग करेंगे एवं इसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं करेंगे।

31. ठेकेदार को भवन परिसर से निकलने वाले अवशिष्ट निस्तारण हेतु निगम एजेंसी के निर्धारित उपभोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) शुल्क निगम को देना होगा।
32. भवन यथा स्थिति में हस्तांतरित किया जावेगा जिसमें किसी प्रकार का निर्माण या अन्य व्यय हेतु निगम द्वारा किसी प्रकार का राशि देय नहीं होगा।
33. भवन की वार्षिक मरम्मत रंगाई, पोताई, साफ-सफाई ठेकेदार को स्वयं करना होगा, ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह बिजली बिल का भुगतान रसीद की छायाप्रति निगम कार्यालय में जमा करना होगा।
34. भवन में अश्लील एवं उत्तेजक विज्ञापन लगाना प्रतिबंधित होगा।
35. भवन में किसी प्रकार का स्वरूप में परिवर्तन आयुक्त के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
36. ठेका समाप्ति पश्चात भवन पूर्व की स्थिति में समस्त सामग्री सहित नगर निगम को सौंपना होगा भवन में किसी प्रकार की क्षति या सामग्री नष्ट होने पर ठेकेदार भरपाई का जिम्मेदार होगा।
37. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निगम आयुक्त को अधिकार होगा की अमानत राशि राजसात करने हुये आबंटन निरस्त कर बेदखली की कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा।
38. किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।


आयुक्त
नगर पालिक निगम,
रायगढ़ (छ.ग.)